Additional Attachment -2.1

परियोजना का नाम :– रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है0 भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

उक्त कार्य सचिव, उतराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 देहरादून के पत्रांक 635/IX-1/68/2018 दिनांक 10.12.2018 द्वारा केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत बस अडडे के स्थापना/विकास हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत रामनगर बस अडडे की स्थापना हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।

जिसके अनुसार बस पोर्ट की स्थापना अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर लीज नवीनीकरण/वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह रामनगर पहडी क्षेत्र के मुख्य द्वार पर स्थित है यहॉ पर बस पोर्ट के निर्माण हो जाने समूचे क्षेत्र का विकास होगा तथा स्थानिय लोगो को रोजगार प्राप्त होने के साथ ही याता–यात की सुविधा समय–समय पर प्राप्त होती रहेगी एवं क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाले ग्रामो/शहरो के अतिरिक्त पहाडी क्षेत्र से रात विरात आने वाले यात्रीयों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होंगा। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक यात्रा उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोगा के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से बसपोर्ट का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

अतः बस पोर्ट रामनगर निर्माण के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि 0.120 है0 प्रभावित हो रही है । लीज नवीनीकरण/वन भूमि हस्तान्तरण तथा बसपोर्ट के निर्माण में प्रभावित वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवाहन निगम
रामनगर

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवाहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।